05.05.2020

Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
B.A. Part - 1 Paper - 1
Topic - Justice - 3 Basic principles of political theory
Lecture - 44

न्याय (Justice) - 3

जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत

जॉन रॉल्स (John Rawls) एक उदारवादी विचारक थे। उनका न्याय का सिद्धांत न्याय के समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है। समझौतावादी सिद्धांत को न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। रूसो (Rousseau) एवं जॉन रॉल्स इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। उनका विचार था कि राज्य की उत्पत्ति न तो दैवी सिद्धांत के आधार पर हुई है और न ही राज्य शक्ति का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति तो एक समझौते का परिणाम है अर्थात् राज्य का जन्म समझौते के आधार पर हुआ है। रूसो के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था से तंग आकर एक समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। उस समझौते के अनुसार व्यक्तियों के तीन अधिकार अपने पास रखे हैं और बाकी अधिकार राज्य को सौंप दिए हैं। जॉन लॉक ने इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा है। उनके अनुसार प्रकृति ने मनुष्यों को सम्पत्ति का अधिकार व जीवन का अधिकार दिया है तथा राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। रूसो, लॉक के अतिरिक्त एडम स्मिथ हरबर्ट स्पेन्सर आदि ने भी इसका समर्थन किया है। न्याय के अनुबंधवादी सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार है

1. अनुबंध करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Contract)

प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव व प्रमुखता का विस्तृत वर्णन हॉब्स लॉक तथा रूसो ने अपने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में किया है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था चाहे कैसी भी क्यों न रही हो, लेकिन समझौता लोगो ने मिलकर स्वयं किया है। समझौता करते समय व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। हॉब्स के समझौते में तो शासक भी शामिल नहीं था अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लोगो के पास समझौता करने की पूरी स्वतन्त्रता थी और स्वतंत्र रहकर ही लोगो ने समझौता किया।

2. निजी सम्पत्ति का अधिकार (Right to Private Property) - समझौतावादियों के अनुसार सम्पत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। जॉन लॉक तर्क है कि प्रकृति ने मनुष्य को तीन प्राकृतिक अधिकार दिए हैं जिन्हें शासक छीन नहीं सकता। यदि शासक इन अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है तो समझौते के मुताबिक हम शासक को बदल सकते हैं अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समझौतावादी विचारकों ने लोगों को निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया है।

3. कम-से-कम हस्तक्षेप (minimum Intervene)

जॉन लॉक व एडम स्मिथ जैसे समझौतावादियों का यह भी मानना था कि राज्य व्यक्ति के कार्यों में कम-से-कम हस्तक्षेप करे। उसे केवल पुलिसकर्मी (police man) के कार्य करने चाहिए। इन विचारकों ने स्वतन्त्रता व स्वतन्त्र व्यापार का प्रतिपादन किया।

जॉन रॉल्स पर उपयोगितावादी विचारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उनकी पुस्तक 'A Theory of Justice' 1971 में प्रकाशित हुई। उन दिनों उदारवाद को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था तथा अमेरिका में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे।

जॉन रॉल्स के सिद्धांत की विशेषताएं
Characteristics of John Rawl's Theory of Justice

1. **उदार लोकतंत्र का समर्थन (Supports Liberal Democracy)** – रॉल्स उदारवादी लोकतंत्र का प्रमुख समर्थक माना जाता है। वह लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को उत्तम मानता है। क्योंकि इस प्रणाली में लोगों को अधिकार व स्वतन्त्रताएँ अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है। वह लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वतन्त्रता देने को ही न्याय मानता है। विभिन्न स्वतन्त्रताओं में विचार की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति का अधिकार, विवाह व परिवार का अधिकार शामिल है।

इन स्वतन्त्रताओं को वास्तविक देने के लिए लोकतंत्रीय शासन का होना उत्तम होगा। यही कारण है कि रॉल्स (Rawls) ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया है। उसने कहा है कि संविधान के द्वारा निर्मित सरकार एक प्रभावशाली सरकार होगी जिसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा संभव होगी तथा वह खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के साथ को अवरुद्ध होने से बचा सकेगी।

2. **आय का वितरण** – (Distribution of Income)

रॉल्स पूँजीवाद के समर्थक रहे हैं। पूँजीवाद को अधिक से अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए रॉल्स ने आय के वितरण को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। रॉल्स का मानना था कि लोग अपनी विशेष निपुणता के कारण जिस सम्पत्ति का उपार्जन करते हैं उस पर अकेले व्यक्ति का अधिकार नहीं है बल्कि पूरे समाज का अधिकार है, क्योंकि परिवार एवं समाज के बिना अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आय व आर्थिक संसाधनों का वितरण सामूहिक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। पूँजीपतियों के द्वारा जो धन कर के रूप में दिया जाता है, उसको देश की सुरक्षा, शांति व्यवस्था, यातायात व विकास आदि पर खर्च किया जाता है, लेकिन रॉल्स यह भी चेतावनी देता है कि पूँजीपतियों पर जो कर लगाया जाता है, वह उचित हो। धनी वर्ग अथवा उद्योगपतियों पर कर का अनुपात इस प्रकार होना चाहिए कि उनके उद्योग-धन्धों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। रॉल्स का कहना है कि करदाताओं से कर इस प्रकार लिया जाए कि उनमें धन कमाने की रुचि कम न होने पाए।